[2018] 1 एस. सी. आर. 1147

श्याम नारायण चौकसी

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या- No.855/2016)

09 जनवरी 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

राष्ट्रगान/राष्ट्रीय ध्वज-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 याचिकाकर्ता, एक सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति, ने उत्तरदाताओं को जनता में राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान का देने के लिए जनता में उचित भावना पैदा करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की-30 नवंबर, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि सभी सिनेमा हॉल में फीचर फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और हॉल में मौजूद सभी लोग राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बाध्य और खड़े होंगे | बाद में, न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया जिसमे केंद्र सरकार को इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना या परिपत्र या नियम लाने की सलाह दी गयी | इसके अनुसरण में, राज्य ने 5 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन किया, जो अपमान की रोकथाम के संशोधन सहित हर पहलू पर गौर करेगी। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 और कार्यकारी निर्देश तैयार करने के लिए-राज्य ने तर्क दिया कि जब तक समिति मामले को देख रही है, तब तक अदालत द्वारा पारित अनिवार्य आदेश सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बनाकर उसमें बदलाव किया जा सकता है। निर्देशिका-आयोजितः केंद्र/केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समिति अपनी सिफारिशें सक्षम लोगों को सौंपेगी। अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 5 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना के संदर्भ में प्राधिकरण-30 नवंबर, 2016 को पारित आदेश, इस हद तक संशोधित किया गया है कि सिनेमा हॉल में फीचर फिल्मों के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि वैकल्पिक या निर्देशिका है-चूंकि केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति मामले के सभी पहलुओं पर गौर कर रही है, इसलिए यह बनाएगी कि उच्चतम न्यायालय के अंतरिम निर्देशों से अप्रभावित सिफारिशें इसी तरह, सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान की रोकथाम के किसी भी अंतरिम निर्देश से बाधित या प्रभावित नहीं होंगे। - एसएस। 2 और 3-जनहित याचिका

राष्ट्रगान/राष्ट्रीय ध्वज- भारत का संविधान के अनुच्छेद 32 याचिकाकर्ता, एक जन उत्साही व्यक्ति, ने उत्तरदाताओं को राष्ट्रगान को उचित सम्मान देने के लिए जनता में उचित भावना पैदा करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की-30 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्देश देते हुए कि सभी सिनेमा हॉल फीचर फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाएंगे और हॉल में मौजूद सभी लोग राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बाध्य और खड़े होंगे | अंतर्वर्ती आवेदन, जो विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिनाइयों से संबंधित हैं जो आवेदकों ने तर्क दिया कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की छूट होनी चाहिए-राज्य का एक गठन 5 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना द्वारा रोकथाम अधिनियम में संशोधन सहित हर पहलू पर गौर करने के लिए समिति राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 का अपमान और कार्यकारी निर्देश तैयार करने के लिए आदेशों को संशोधित किया गया, शारीरिक रूप से अक्षम किया गया आदेश के दायरे से छूट प्राप्त व्यक्ति या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति-आयोजितः विकलांग व्यक्तियों को दी गई छूट सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय तक लागू रहेगी प्रत्येक अवसर के संबंध में जब भी राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है-विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016-जनहित याचिका।

भारत का संविधान के अनुच्छेद- 51 क) नागरिक या व्यक्ति हैं - भारत के राष्ट्रगान और प्रचलित कानून से संबंधित कार्यकारी आदेशों के तहत आवश्यकतानुसार सम्मान दिखाने के लिए बाध्य है , जब भी इसे निर्दिष्ट अवसरों पर बजाया या गाया जाता है।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

HELD: 1. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा-3 का अवलोकन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि कोई भी जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोक नहीं सकता है या इस तरह के गायन में लगी सभा को बाधित नहीं कर सकता है। यह एक दंडात्मक प्रावधान है। राष्ट्रगान से संबंधित आदेश राष्ट्रगान के वादन, राष्ट्रगान के सामूहिक गायन, विदेशी राष्ट्रगान के वादन और सामान्य प्रावधानों से संबंधित हैं। [पैरा 24] [1160-सी-डी]

2. धारा- 3 को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर , यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश में कहा गया है कि अवसरों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि इसमे कोई आपत्ति नहीं है राष्ट्रगान का गायन सामूहिक गायन के साथ तब तक किया जाता है जब तक कि इसे अभिवादन के रूप में उचित सम्मान के साथ किया जाता है। मातृभूमि और उचित शिष्टाचार का रखरखाव। इस प्रकार तीन पहलू स्पष्ट हैं: पहला, राष्ट्रगान का न केवल सम्मान किया जाना चाहिए, बल्कि यह मातृभूमि को अभिवादन के रूप में सम्मान है; दूसरा, अवसरों की सूची विस्तृत रूप से नहीं बनायीं

जा सकती; और तीसरा, जब राष्ट्रगान बजाया या गाया जाय तो उचित शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए। [पैरा 25] [1160-एफ-जी]

3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब भी और जहां भी राष्ट्रगान बजाय जाता हैं तो व्यक्ति सम्मान दिखने के लिए मजबूर हो जाता हैं | यह राष्ट्र का मूलमंत्र और एक राष्ट्र-राज्य से संबंधित होने का मौलिक व्याकरण है। हालांकि, संविधान और कानून के तहत प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कार्यपालिका द्वारा स्थान या अवसर का निर्धारण किया जाना चाहिए। [पैरा 30] [1162-एच; 1163-ए]

बिजो इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य व अन्य
एआईआर 1987 एससी 748: [1986] 3 एस.सी.आ.र 518- निर्भर

भारत संघ बनाम नवीन जिंदल व अन्य (2004) 2
एससीसी 510: [2004] 1 एस. सी. आर. 1038-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[2004] 1 एससीआर 1038	संदर्भित किया गया	पैरा 15
[1986] 3 एससीआर 518	rilied on	पैरा 28

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः रिट याचिका (सी) संख्या-855 / 2016.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के. के. वेणुगोपाल, एजी, शिव मंगल शर्मा, एएजी, सौरभ श्याम शमशेरी, ए ए जी, सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर अधिवक्ता (ए. सी.), सी. यू. सिंह, सीनियर अधिवक्ता, सुश्री तारा नरूला, सुश्री गार्गी खन्ना, तुषार गुप्ता, वैभव, अभिनव श्रीवास्तव, हरमीत सिंह रूपरा, सुश्री प्रियंका गर्ग, आर. पी. सिंह, रितुंदर सिंह, प्रतीक जालान, सुश्री बीनू टम्टा, अंकित यादव, राहुल कृपलानी, प्रणय रंजन, रजत नायर, एम. के. मारोरिया, अरिजीत प्रसाद, अंकुर तलवार, बी. वी. बलराम दास, बी. कृष्ण प्रसाद, ए. सुब्बा राव, पी. वी. दिनेश, सुश्री सिंधु टी. पी., बिनेश्वर के,आर बेनीवाल, सुश्री अरुशी सिंह, नमिता सक्सेना, सुश्री प्राची प्रियदर्शनी, अमित शर्मा, संदीप सिंह, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री रुचि कोहली, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अर्पित राय, बीजू पी रमन, श्रीमती नानिता शर्मा, वी. शर्मा, बजरंग लालजात, सुश्री आरोही भल्ला, सुश्री सुजाता कुर्दुकर, अजीत पाठक, वी. के. बीजू, उपस्थित दलों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई 1. याचिकाकर्ता, एक सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति,भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ताकि राष्ट्रगान को उचित सम्मान देने के लिए जनता में उचित भावना पैदा करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए आदेश या आदेश जारी किया जा सके; एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जा सके कि राष्ट्रगान बजाने या गाए जाने पर क्या करने की आवश्यकता है और क्या नहीं किया जाना चाहिए; यह निर्दिष्ट करने के लिए कि राष्ट्रगान का अनादर और दुरुपयोग क्या होगा। राष्ट्रगान; और किसी भी व्यावसायिक शोषण या किसी भी तरह से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रगान के उपयोग को रोकना।

2. उपरोक्त प्रार्थनाओं के अलावा कई अन्य प्रार्थनाएँ भी हैं। और ऐसी ही एक प्रार्थना में यह शामिल है कि किसी को भी किसी भी अवांछनीय वस्तु पर राष्ट्रगान नहीं छापना चाहिए या इसे इस तरह से और ऐसे स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए जो अपमानजनक हो और राष्ट्रगान का अनादर करने के समान हो।

3. नोटिस जारी होने के बाद, भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी उपस्थित हुए। 30 नवंबर, 2016 को किए गए दावों पर ध्यान देते हुए याचिका में, इस न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जो इस प्रकार हैः

" पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और भारत संघ से जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद, एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित निर्देश ईमानदारी से दिए जाएँगे। इसके बाद आयाः

(क) राष्ट्रगान का उपयोग ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े व्यक्ति को कोई व्यावसायिक लाभ या कोई अन्य लाभ हो।

(ख) राष्ट्रगान का नाटकीकरण नहीं होगा और इसे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया या बजाया जाता है तो उसका बजाना अनिवार्य होता है। उचित सम्मान और सम्मान दिखाने के लिए उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा। राष्ट्रगान की एक नाटकीय प्रदर्शनी के बारे में सोचना बिल्कुल सही है।

(ग) राष्ट्रगान या उसका कोई हिस्सा किसी भी पर बस्तु मुद्रित नहीं किया जाएगा और ऐसे स्थानों पर कभी भी इस तरह से प्रदर्शित नहीं किया जायेगा जो इसकी स्थिति के लिए अपमानजनक हो और अनादर के सामान हो | ऐसा इसलिए हैं क्योकि जब राष्टगान गाया जाता हैं तो उससे जुडी प्रोटोकाल की अवधारण की जरे राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय अखंडता और संवैधानिक देशभक्ति में अन्निहित होती हैं |

(घ) भारत के सभी सिनेमा हॉल में फीचर फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और हॉल में मौजूद सभी लोग इसके लिए बाध्य होंगे और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए खड़े होगे ।

(ई) सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने या गाने से पहले, प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे ताकि कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा न कर सके ताकि राष्ट्रगान का अनादर करना राष्ट्रगान के बाद बजाया या गाया जाता है, दरवाजे खोले जा सकते हैं।

(च) जब सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाया जाएगा, तो वह स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ होगा।

(छ) किसी एक द्वारा बनाए गए राष्ट्रगान का संक्षिप्त संस्करण किसी भी कारण से नहीं खेला जाएगा या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

4. निर्देश जारी करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रस्तुतियों को नोट किया संबद्ध महान्यायवादी जो निम्नलिखित प्रभाव से थेः

" हमने ऐसा निर्देश दिया है क्योंकि भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री मुकुल रोहतगी अपने आदेश पर पूरी विनम्रता के साथ प्रस्तुत करते हैं और सिफारिश करते हैं कि राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए। निर्देश जारी किए जाते हैं, क्योंकि मातृभूमि के लिए प्यार और सम्मान तब परिलक्षित होता है जब कोई राष्ट्रगान के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति भी सम्मान दिखाता है। इसके अलावा, यह एक के भीतर भावना, एक प्रतिबद्ध देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करेगा।''

5. इसके बाद, जैसे ही तथ्यात्मक मैट्रिक्स सामने आएगा, दो आवेदन दायर किए गए और अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने 9 दिसंबर, 2016 को सुनवाई शुरू की और उस दिन ईडमेंट के लिए प्रार्थना की अनुमति दी गई, लेकिन जहां तक वापस बुलाने का आवेदन था, अदालत ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" जहाँ तक आदेश को वापस लेने का संबंध है, उसी पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए जब मामले पर अंततः बहस की जाती है। यह नोट किया जाय, श्री दिनेश उस समय आवेदक के विद्वान वकील थे, उल्लेखकरते हुए कहा था कि शारिक अक्षम व्यक्ति या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार का छुट होनी चाहिए | कोर्ट में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिध्दार्थ ने विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण अधिकार) भागीदारी) अधिनियम, 1995 का उलेख किया ।

श्री रोहतगी, भारत के विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि कैसे शारीरिक रूप से विकलांग या शारीरिक रूप से निशक्त: व्यक्ति राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाएंगे, इसलिए केंद्र

सरकार दस दिनों के भीतर दिशा-निर्देश जारी करेगी। जिस तरह से दिशानिर्देश जारी किए जाने वाले हैं, हम स्पष्ट करते हैं, अगर भौतिक रूप से विकलांग व्यक्ति या शारीरिक रूप से निशक्त: व्यक्ति सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए, तो उसे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है अगर वह खड़े होने असमर्थ है | लेकिन उसे यह ऐसा व्यहवहार दीखन होगा जो राष्ट गान के सम्मान को दर्शाता हैं |जब हम शारीरिक रूप से विक्लांग या शाररिक रूप से निशक्त: व्यक्ति के बारे में कहते हैं तो हम

शाररिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की धारा 2 (i) और 2 (t) के तहत परिभाषित विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एक अन्य पहलू को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जब हमने कहा कि दरवाजे बंद कर दिए जाएँगे, तो हमारा मतलब यह नहीं था कि दरवाजे बंद कर दिए जाएँगे जैसा कि दिल्ली निगम बनाम उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन और अन्य [(2011) 14 एस. सी. सी. 481] के मामले में उल्लेख किया गया है। लेकिन केवल राष्ट्रगान की अवधि के दौरान प्रवेश और निकास को विनियमित करने के लिए चलाया जाता है। "

6. सुनवाई की अगली तारीख यानी 14 फरवरी, 2017 को कुछ अंतरिम आवेदन दायर किए गए थे, जो विकलांग व्यक्ति के सामने आने वाली कठिनाइयों से संबंधित थे | श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ वकील, को न्यायालय के मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने कुछ बातों पर प्रकाश डाला था और उन पर ध्यान देते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" विद्वान न्यायमित्र श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जब राष्ट्रगान गाया जाता है या फीचर फिल्म में कहानी के हिस्से के रूप में या न्यूज़रील या वृत्तचित्र के हिस्से के रूप में बजाया जाता है तो लोगों से खड़े होने की उम्मीद नहीं की जाती है। विद्वान महान्यायवादी श्री रोहतगी ने उक्त सुझाव को स्वीकार कर लिया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जब राष्ट्रगान को किसी फीचर फिल्म या न्यूज़ रील या वृत्तचित्र की कहानी में गाया या बजाया जाता है, तो दिनांक 30.11.2016 के क्रम में जो कहा गया है, उसके अलावा, दर्शकों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है।

इस मोड़ पर हम यह कह सकते हैं कि संसद 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 102 विकलांग व्यक्ति (अधिकारों का समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरस्त करती है। इस न्यायालय ने 1995 के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए विकलांग व्यक्तियों के संबंध में पहले के आदेश को संशोधित किया है। एक प्रश्न किए जाने पर, भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि भारत संघ विकलांग

व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में नियोजित भाषा को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त अधिसूचना/दिशानिर्देश जारी करें। उक्त अधिसूचना/दिशा-निर्देश एक सप्ताह के भीतर जारी किए जा सकते हैं।

विद्वान वकील श्री सुभाष चंद्रन प्रस्तुत करते हैं कि विकलांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच पर उन्हें मध्यस्थता के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। वह आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

7. 18 अप्रैल, 2017 को, आई. ए. No.15, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्साहित से संबंधित कुछ संशोधन किए गए थे। आदेश इस प्रकार हैः-

" यह एन. पी. आर. डी. द्वारा 30 नवंबर, 2016 और 9 दिसंबर, 2016 के इस न्यायालय के आदेश के दायरे से विकलांग व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को छूट देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश देने के लिए दायर एक आवेदन है। उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियाँ ये हैंः

(i) व्हील चेयर का उपयोग करने वाले-मस्तिष्क पक्षाघात, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या अन्य स्थितियाँ हो सकते हैं।

((ii) ऑटिज्म वाले लोग।

(iii) सेरेब्रल पाल्सी वाले लोग

(iv) बौद्धिक अक्षमता

(v) मानसिक बीमारी

(vi) बधिर नेत्रहीन

(vii) कई प्रकार की अक्षमताएँ

(viii) पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस

(ix) कुष्ठ रोग ठीक हो गया

(x) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम आदेशों को संशोधित करने और निर्देश देने के लिए इच्छुक हैं कि वे व्यक्ति जो कुर्सी का उपयोग करने वाले, ऑटिज्म वाले, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति, मल्टीपल डिसेबिलिटी, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुष्ठ रोग ठीक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बधिर और अंधे लोगों का इलाज नहीं किया जा सकता हैं उन्हें इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के दायरे मे नहीं आएँगे ।

जहाँ तक अन्य श्रेणियों का संबंध है, जिनका हमने आवेदन में उल्लेख नहीं किया है, मगर वही हो सकते हैं उन्हें भारत संघ द्वारा विचार किया जा सकता हैं "।

8. पिछले अवसर पर, यानी 23 अक्टूबर, 2017 को, पक्षों के वकील और विद्वान अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

" विद्वान महान्यायवादी का निवेदन है कि धर्म, नस्ल, जाति और यहां तक कि क्षेत्र के आधार पर देश में विशाल विविधता के कारण, एकरूपता होना आवश्यक हो जाता है जिसे राष्ट्रगान बजाकर विकसित किया जाना चाहिए ताकि जब लोग सिनेमा हॉल से बाहर आएं, तो यह विश्वास पैदा हो की वे सभी भारतीय हैं। इस संदर्भ में उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए (ए) का उल्लेख किया है।

कुछ समय के लिए पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम यह उचित समझते हैं कि केंद्रीय

सरकार को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो जैसा सलाह दी जाती है, अपेक्षित अधिसूचना या परिपत्र या नियम ला सकती है। जब हम कहते हैं कि 'कॉल करें', तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि केंद्र सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। विवेक का प्रयोग करना होगा हमारे अंतरिम आदेश से प्रभावित हुए बिना। हम आगे बढ़ सकते हैं इस बात पर जोर देते हुए कि विवेक का उपयोग विनियमित करने के लिए किया जा सकता है समावेशी तरीके से या जैसा कि केंद्र सरकार उचित महसूस करती है। ”

9. हमारे पहले के आदेश के अनुसरण में,भारत संघ के द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है। श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि केंद्र सरकार ने 5 दिसंबर, 2017 को एक अधिसूचना/आदेश द्वारा एक समिति का गठन किया है। हम इसे बाद के चरण में भी उल्लेख करेगे ।

10. श्री अभिनव श्रीवास्तव, विद्वान वकील अपीलकर्ता की और से निम्नलिखित विवाद उठाए हैंः

(क) राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 (संक्षेप में, '1971 अधिनियम') की धारा 3 केवल राष्ट्रगान आदि के गायन/वादन की रोकथाम से संबंधित है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बारे में नहीं बताती है कि सम्मान कैसे दिखाया जाना चाहिए और इसलिए, इसमें कानून द्वारा उचित उपाय निर्धारित किए जाने चाहिए।

(ख) संविधान का अनुच्छेद 51 ए (ए) जो यह प्रावधान करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना है और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का

सम्मान करना है, यह गारंटी देता है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति को राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना होगा, चाहे वह कहीं चलाया हो ।

(ग) संविधान की प्रस्तावना में "एकता और एकता" शब्द का उपयोग किया गया है। राष्ट्र की अखंडता और उक्त शब्दों की व्याख्या एक व्यापक प्रचार पर की जानी चाहिए ताकि राष्ट्रगान के कारण सम्मान और महत्त्व बनाए रखा जा सके।

(घ) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं उप-कारण राष्ट्र की अखंडता को पूरा करते है |इसे वापस लेने की आवश्यकता नहीं है और इसे निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए।

(ङ) "भारत के राष्ट्रगान से संबंधित आदेश" शीर्षक के तहत जारी किए गए निर्देश कार्यकारी प्रकृति के हैं क्योंकि वे विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं और बाध्यकारी नहीं हैं और इसलिए, इस क्षेत्र में एक उपयुक्त कानून होना चाहिए और कानून के अभाव में, यह न्यायालय तब तक निर्देश जारी कर सकता है जब तक कि उक्त पहलुओं को शामिल करते हुए कानून लाया जाता है।

11. श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान महान्यायवादी, शपथपत्र और अधिसूचना/आदेश का उल्लेख करते हुए तर्क देंगे कि अधिसूचना द्वारा गठित समिति प्रत्येक पहलू पर गौर करेगी, जिसमें - 1971 के अधिनियम में संशोधन और आगे की कार्यपालिका का निर्माण निर्देश और तब तक सिनेमा हॉल में फीचर फिल्में शुरू करने से पहले राष्ट्रगान बजाने/गाने के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित अनिवार्य आदेश को निर्देशिका बनाकर संशोधित किया जा सकता है। उनके द्वारा दिया गया सुझाव यह है कि क्रम में उपयोग किए गए शब्द "होगा" को “हो सकत हैं " द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

12. श्री सिद्धार्थ लोथारा, विद्वान न्यायालय के मित्र ने कहा हैं कि संबिधान के अनुच्छेद 51A तब लाया गाया जब 1971 का अधिनियम लागु था इसलिए इस सन्दर्भ में समझा जाय |

" 2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान का अपमान - जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर सार्वजनिक दृश्य के भीतर जलाता है, विकृत करता है, विकृत करता है, अशुद्ध करता है, विकृत करता है, नष्ट करता है, रौंदता है या * अन्यथा अनादर दिखाता है या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान या किसी भी भाग की अवमानना (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या कार्यों द्वारा) करता हैं | इसके लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के
साथ।

स्पष्टीकरण 1. - संविधान या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या किसी की अस्वीकृति या आलोचना व्यक्त करने वाली टिप्पणियां। भारत के संविधान में संशोधन प्राप्त करने या वैध माध्यमों से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के उपाय इसके तहत अपराध नहीं हैं।

स्पष्टीकरण 2. - अभिव्यक्ति, "भारतीय राष्ट्रीय ध्वज" में कोई भी चित्र, पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ, या अन्य दृश्य शामिल हैं।भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या उसके किसी भाग या भाग का प्रतिनिधित्व, जो किसी पदार्थ से बना हो या किसी पदार्थ पर दर्शाया गया हो।

स्पष्टीकरण 3. – "सार्वजनिक स्थान" पद का अर्थ है कोई भी स्थान जिसका उपयोग जनता द्वारा किया जाता है या जनता के लिए सुलभ है और इसमें कोई भी सार्वजनिक परिवहन शामिल है।

स्पष्टीकरण 4. - भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर का अर्थ है और इसमें शामिल हैं

(क) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान या अपमान; या

(ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डुबाना; या

(ग) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधे झुके पर फहराना, सिवाय उन अवसरों के जब सार्वजनिक भवनों पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार झंडे को आधे झुके पर फहराया जाता है; या

(घ) राजकीय अंत्येष्टि या सशस्त्र बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों के अंत्येष्टि को छोड़कर किसी भी रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वस्त्र के रूप में करना; या

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोगः

(i) किसी कपडे के वह भाग जिसे कमर के निचे पहना जाता हो ; या

(ii) कुशन, रूमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट्स या किसी भी ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई या प्रिंट करके; या

(च) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर किसी भी प्रकार का शिलालेख लगाना; या

(छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के सामने फूलों की पंखुड़ियों को छोड़कर कुछ भी प्राप्त करने, वितरित करने या ले जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना;

(ज) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज या वक्ता के मंच के लिए आवरण के रूप में करना; या

(i) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर पानी में जमीन या फर्श या पगडंडी को छूने की अनुमति देना; या

(j) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हुड, ऊपर और किनारों पर या पीछे या किसी वाहन, ट्रेन, नाव या विमान या किसी अन्य समान वस्तु पर लपेटना;
या

(k) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भवन के लिए आवरण के रूप में करना; या

(l) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केसर को नीचे प्रदर्शित
करना

13. यह उनका आगे का निवेदन है कि एक बार शब्द "या कोई भी भाग" जिनका उपयोग 1971 के अधिनियम में किया गया है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 51 ए (ए) के अनुरूप पढ़ने के लिए बाध्य है और इसलिए, यह वर्तमान में एक वैधानिक आदेश के रूप में अंतर्निहित हो जाता है।

14. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी, ने जहां तक अंतरिम आदेश के संशोधन का संबंध है, भारत संघ के रुख का समर्थन किया है।

15. यद्यपि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साजन पूवय्या ने किसी अन्य पहलू से संबंधित एक अलग रिट याचिका दायर की है, उन्होंने प्रस्तुत किया कि "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जो प्रस्तावना में स्थान पाता है, वह भारत में मौजूद विविध समुदायों के एकीकरण के लिए है और उक्त सिद्धांत को भारत संघ बनाम नवीन जिंदल और अन्य 1 में ध्वज संहिता के संदर्भ में मान्यता दी गई है। उन्होंने हमारा ध्यान निर्णय का अनुच्छेद 27 जिसे हम दोहराते प्रतीत होते हैं पर आकर्षित किया है

" फिर सवाल उठता है कि किस दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान राष्ट्रत्व के धर्मनिरपेक्ष प्रतीक हैं। वे राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ-साथ देश के लिए देशभक्ति की सर्वोच्च सामूहिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे संप्रभुता होने उससे जुड़े प्रतीक और कार्य के लिए आवश्यक सहायक हैं। राष्ट्रत्व आदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्मनिरपेक्ष प्रतीक होने के नाते वांछित सम्मान करें। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह निम्नानुसार हैः

" बयान''

अध्यक्ष महोदयः एक विषय है जो चर्चा के लिए लंबित है, वह है जन गण मन के रूप में जाने जाने वाले शब्दों और संगीत से युक्त रचनाराष्ट्रगान का प्रशन । एक समय में, यह सोचा गया था कि इस मामले को सदन के समक्ष उठाया जा सकता हैं ।

अवसर आने पर वंदे मातरम गीत, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण मन से समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और इसे भी समान दर्जा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह सदस्यों को संतुष्ट करेगा।

17. हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि हमने राष्ट्रगान की पवित्रता और इसके प्रति सम्मान दिखाने के लिए इसे दोहराया है।

18. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह, जिन्होंने अंतरिम आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है, का तर्क है कि किसी भी कानून के अभाव में, इस न्यायालय को सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए था।

19. इस मोड़ पर, श्री पी. वी. दिनेश, श्री सी. यू. सिंह की सहायता करने वाले विद्वान वकील, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि यदि यह न्यायालय अंतरिम आदेश को जारी रखने के बारे में सोचते हुए, यह कम से कम इस निर्देश को संशोधित कर सकता है कि जब भी कोई फिल्म समारोह हो और एक दिन में पांच से छह से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएं, तो दर्शकों को केवल पहली फीचर फिल्म के शुरू होने पर ही खड़े होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

20. रिट याचिका में हस्तक्षेप करने वाले विद्वान वकील श्री वी. के. बीजू ने कहा है कि हालांकि समिति का गठन कर दिया गया है,विभिन्न पहलू से मामले को देखने के लिए, अंतरिम आदेश को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

21. सुश्री नानिता शर्मा, विद्वान वकील, जो प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पेश हो रही हैं। हस्तक्षेप के लिए आवेदन की अनुमति दिए जाने के कारण प्रस्तुत किया कि उक्त संगठन ने सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं और उन पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि वे 2014 से लंबित हैं।

22. श्री संजीव भटनागर, जिन्होंने हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन दायर किया है, ने व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया है कि कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक सम्मान दिखाने के लिए बाध्य है, लेकिन सिनेमा हॉल उपयुक्त स्थान नहीं हो सकते हैं।

23. बार में अग्रिम प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, 1971 के अधिनियम की धारा 3 का उल्लेख करना आवश्यक है। यह नीचे लिखा हैः

" 3. राष्ट्रगान आदि के गायन की रोकथाम-जो कोई भी जानबूझकर भारतीय राष्ट्रगान के गायन को रोकता है या इस तरह के गायन में लगे किसी भी सभा को बाधित करने के लिए तीन साल तक कारावास, या जुर्माने के साथ, या दोनों से दंडित किया जाएगा, जो बढ़ सकता हैं ।

24. उक्त प्रावधान के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि कोई भी जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोक नहीं सकता है या इस तरह के गायन में लगी सभा में कोई गड़बड़ी पैदा करें, यह एक दंडात्मक प्रावधान है। राष्ट्रगान से संबंधित आदेश इस प्रकार हैं - राष्ट्रगान बजाना, राष्ट्रगान का सामूहिक गायन, विदेशी राष्ट्रगान बजाना और सामान्य प्रावधान। आदेशों का खंड III (4) इस प्रकार हैः

" III (4) उन अवसरों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिन पर राष्ट्रगान के गायन (बजाने से अलग) की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन जब तक इसे उचित सम्मान के साथ किया जाता है, तब तक सामूहिक गायन के साथ राष्ट्रगान गाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं | मातृभूमि को अभिवादन और उचित शिष्टाचार के रूप में बनाए रखा "।

25. उपरोक्त प्रावधान को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश में कहा गया है कि इन प्रावधानों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है। राष्ट्रगान का न केवल सम्मान किया जाना चाहिए, बल्कि यह मातृभूमि को अभिवादन के रूप में सम्मान है; दूसरा, अवसरों की सूची पूरी तरह से नहीं हो सकती है। अत: जब राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है तो उचित शिष्टाचार बनाए रखना होता है।

26. इस स्तर पर, हम 5 दिसंबर, 2017 के आदेश/अधिसूचना का उल्लेख कर सकते हैं। यह इस प्रकार हैः

" आदेश

विषयः राष्ट्रगान बजाने/गाने के लिए एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति का गठन।

एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है राष्ट्रगान बजाने/गाने के विनियमन के संबंध में और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम में बदलाव का सुझाव देना के लिए ।

अधिनियम, 1971 या भारत के राष्ट्रगान से संबंधित आदेश।

मंत्रालय/विभाग

1 . अतिरिक्त सचिव (बीएम), एमएचए सभापति

2.रक्षा मंत्रालय सदस्य

3. विदेशी मामलों का मंत्रालय सदस्य

4.संस्कृति मंत्रालय सदस्य

5. महिला और बाल विकास मंत्रालय सदस्य

6. संसदीय कार्य मंत्रालय सदस्य

7. सूचना और प्रसारण मंत्रालय सदस्य

8. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सदस्य

9. कानूनी मामलों का विभाग सदस्य

10.स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग सदस्य

11.अक्षमता व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग सदस्य

12.संयुक्त सचिव (प्रशासन), एमएचए संयोजक

2. समिति छह महीने में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

3. यह सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है।

27. उक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि अंतर-मंत्रालयी समिति को राष्ट्रगान के वादन/गायन को विनियमित करने और 1971 के अधिनियम या भारत के राष्ट्रगान से संबंधित आदेशों में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए सिफारिशें करने की जिम्मेदारी दी गई है

28. हम वर्तमान में अतीत की यात्रा कर सकते हैं। यह न्यायालय बिजोए इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (पैराग्राफ 9 और 10) ने राष्ट्रगान के सम्मान पर भी जोर दिया है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि इसमें याचिकाकर्ता के अधिकार को बनाए रखा गया है, लेकिन फिर भी यह देखा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रगान गाए जाने पर सम्मानपूर्वक खड़ा होता है, वह उचित सम्मान दिखा रहा है। इस प्रकार, जब राष्ट्रगान गाया या बजाया जाता है तो सम्मान पर जोर दिया जाता है।

29. हम इस स्तर पर 1971 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अभिनव श्रीवास्तव ने इस पर जोर दिया है। यह नीचे लिखा हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

हाल के दिनों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान के जानबूझकर अनादर से जुड़े मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ घटनाओं पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई और सदस्यों ने बहुत चिंता व्यक्त की राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति दिखाए गए अपमान के बारे में। सरकार से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का आग्रह किया गया। राष्ट्रीय ध्वज और संविधान या राष्ट्रगान का अनादर मौजूदा कानून के तहत दंडनीय नहीं है। संप्रभुता और राष्ट्र की अखंडता के इन प्रतीकों के अपमान के सार्वजनिक कृत्यों को रोका जाना चाहिए। इसलिए विधेयक। कानून का दायरा सार्वजनिक रूप से जलाकर, अपवित्र करके या विकृत करके राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान और उन पर हमला करने के कृत्यों तक सीमित है। यह इरादा नहीं है की ईमानदार और प्रामाणिक आलोचना को प्रतिबंधित करना और इस आशय के प्रावधान विधेयक में किए गए हैं।

30. जब हम अपने सामने व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर विचार करते हैं, तो हमें इस बात में कोई संदेह नहीं होता कि जब भी और जहां भी राष्ट्रगान होता है, कोई भी व्यक्ति सम्मान दिखाने के लिए मजबूर होता है .यह राष्ट्र का उल्लास और एक राष्ट्र राज्य से संबंधित होने का मौलिक अधिकार है। हालांकि, अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कार्यपालिका द्वारा स्थान या अवसर का निर्धारण किया जाना चाहिए।

31. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह उचित समझते हैं कि समिति को सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार करना चाहिए। श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल ने तर्क के दौरान प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं समिति को प्रतिनिधित्व। श्री वी. के. बीजू और सुश्री नानिता शर्मा, विद्वान वकील और श्री संजीव भटनागर, आवेदक व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं।इस संबंध में सुझाव भी दें। जब हम सुझाव देते हैं, तो हमारा मतलब है कि सुझाव केवल राष्ट्रगान से संबंधित होंगे और कुछ नहीं।

32. यह कहने के बाद, मुद्दा अंतरिम आदेश को जारी रखने या उसी के संशोधन के लिए बना हुआ है। जैसा कि श्री वेणुगोपाल, विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, राष्ट्रगान का वादन स्क्रीन पर सिनेमा हॉल को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है और जब तक समिति और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक "होगा" शब्द को "मई" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि विवेकाधिकार

केंद्र सरकार के पास निहित है और वे 23 अक्टूबर, 2017 के हमारे आदेश में स्पष्ट किए गए अंतरिम आदेश से अप्रभावित निर्णय लेंगे।

33. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रिट याचिका को लंबित रखने और निम्नलिखित निर्देशों के साथ इसका निपटारा करने का इरादा नहीं रखते हैंः

(i) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समिति अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 5 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(ii) 30 नवंबर, 2016 को पारित आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि इससे पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है. सिनेमा हॉल में फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग अनिवार्य नहीं है।

(iii) चूंकि केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति मामले के सभी पहलुओं को देख रही है, इसलिए वह अपनी सिफारिशों को अंतरिम निर्देशों से अप्रभावित रखेगी -

इस न्यायालय ने, जैसा कि हमारे 23 अक्टूबर, 2017 के आदेश में स्पष्ट किया गया है।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोट इसी तरह, सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय लेने में किसी भी अंतरिम आदेश से बाधित या प्रभावित नहीं होगा।दिशा निर्देश।

(iv) नागरिक या व्यक्ति भारत के राष्ट्रगान और प्रचलित कानून से संबंधित कार्यकारी आदेशों के तहत आवश्यकतानुसार सम्मान दिखाने के लिए बाध्य हैं, जब भी इसे विशिष्ट अवसरों पर बजाया या गाया जाता है।

(v) विकलांग व्यक्तियों को दी गई छूट प्रत्येक अवसर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय तक लागू रहेगी जब भी राष्ट्रगान बजाया या गाया होगा।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। खर्चो के सन्दर्भ में कोई आदेश नहीं हैं |

लिखित याचिका का निपटारा किया गया।